प्रेस नोट

सराहनीय कार्य जनपद कानपुर देहात

दिनांक- 27.09.2023

• थाना रुरा पुलिस द्वारा त्वरित साक्ष्य संकलन कर नाबालिग से दुष्कर्म के अपराध में विवेचना मात्र 24 घण्टे के अन्दर पूर्ण करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर, जोन कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक कानपुर, रेन्ज कानपुर, श्री प्रशान्त कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना रुरा पर दिनांक 25.09.2023 को वादी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना रूरा पर मु0अ0सं0 328/2023 धारा 376 (3) भा0द0वि0 व धारा 3/4(2) पाँक्सो एक्ट बनाम सुनील कुमार पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम बलेथा थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात पंजीकृत हुआ था। जिसमे थाना रुरा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम बलेथा थाना रुरा कानपुर देहात को मात्र 10 घण्टे के भीतर गिरफ्तार किया गया व अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए त्वरित साक्ष्य संकलन कर उक्त अभियोग की विवेचना मात्र 24 घण्टे के अन्दर पूर्ण करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायिक कार्यवाही माननीय न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कराकर उच्चकोटि की पैरवी करते हुए अभियुक्त को कडी से कडी सजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।